P 416-I-17 CP Rs 30/-

न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर कैम्प सागर

राजमन मिश्रा तनय स्व0 श्री जगनाप्रसाद मिश्रा आयु 48 वर्ष
निवासी बृजपुर तह0 व जिला पन्ना म.प्र. .... आवेदक

॥ विरूद्ध॥

म.प्र. शासन ... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959
विरूद्ध एस.डी.ओ. पन्ना के प्र0क्र0 95/अ-68 वर्ष 16-17 मैं
पारित आदेश दि0 24.01.2017 से दुखित होकर

मान्यवर महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नलिखित प्रार्थना है :-

1- यहकि, प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार पन्ना के न्यायालय मे इस आशय का आवेदनपत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बृजपुर मे स्थित भूमि ख.नं. 74/1/क/1 रकबा 0.621 है0 भूमि मैंने अन्य व्यक्तियों की भांति आवेदक को दि0 12.09.06 को 115×30 वर्गफुट पर निर्माण की स्वीकृति ग्राम पंचायत बृजपुर द्वारा दी गई है परंतु उक्त तथ्य को नजर अंदाज कर पटवारी द्वारा एक प्रतिवेदन आवेदक के विरूद्ध अतिक्रमण किएजाने के सम्बंध मैं नायब तहसीलदार के न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया, जिस आधार पर नायब तहसीलदार द्वारा अपने न्यायालय मे प्र0क्र0 02/अ-68 वर्ष 2016-17 दर्ज किया गया तथा उसमे आवेदक को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए बिना ही दि0 08.12.2016 को आदेश पारित करते हुए उक्त भूमि से बेदखल किए जाने एवं 5000/-रू0 अर्थदंड आरोपित करने का आदेश पारित किया जिस से दुखित होकर आवेदक द्वारा एक अपील एस.डी.ओ. पन्ना के न्यायालय मे प्र

31-1-17

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-416-एक/2017 जिला पन्ना

राजमन विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । उभय पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी पन्ना जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 95/अ-68/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 24-01-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर पन्ना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 06-05-2019 को कलेक्टर पन्ना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) सदस्य 08/3/19	